झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–58 वर्ष 2017

के साथ

आई0ए0 संख्या 561 वर्ष 2018

विमल यादव .... याचिकाकर्ता

बनाम्

रानी देवी .... विपक्षी पार्टी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री एस0टी0 साजिद, अधिवक्ता।

विरोधी पार्टी के लिए:– श्री पी0के0 पाण्डेय, अधिवक्ता।

यह मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया गया। पक्षकारों के विद्वान वकील को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऑडियो और वीडियो गुण अच्छे हैं।

08/तिथिः10 फरवरी, 2022

1. पुनरीक्षण यसदायर करने वाला के विद्वान अधिवक्ता एवं पत्नी/विपक्षी पार्टी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन मूल भरण–पोषण मामला संख्या 82/2015 में गढ़वा के विद्वान प्रधान न्यायाधीश की अदालत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पारित दिनांक 23.11.2016 के फैसले के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें पत्नी/विपरीत पक्ष के पक्ष में 5,000 रूपये (पांच हजार रूपये) प्रति माह और दो नाबालिग बच्चों के पक्ष में 3,000 रूपये (तीन हजार रूपये) प्रति माह की भरण–पोषण राशि देने का आदेश पारित किया गया है।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पक्षकारों के बीच विवाद के निपटारे का प्रयास किया था, लेकिन उसका निपटारा नहीं किया जा सका। अभी भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हैं और वे अलग–अलग रह रहे हैं। विवाह का तथ्य विवाद में नहीं है। निचली अदालत ने पाया है कि पत्नी का पति के साथ नहीं रहने का उचित कारण है और पति, जो एक पत्रकार है, की आय क्षमता को ध्यान में रखते हुए, पत्नी को 5,000/– रूपये और नाबालिग बच्चों को 3,000/– रूपये का भरण–पोषण अधिनिर्णीत किया गया है।

पति ने इस मुद्दे को उठाया है कि भरण–पोषण की मात्रा अत्यधिक है और वर्ष 2016 में पक्षकारों के बीच समझौता हुआ था, समझौता याचिका को वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन के साथ अनुलग्नक–4 के रूप में संलग्न किया गया है। आगे यह भी प्रतीत होता है कि समझौते की शर्तों के अनुसार कार्य न करने के लिए पक्षकारों के बीच आरोप और प्रति–आरोप है।

4. चाहे जो भी हो, मुझे आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं मिला है। तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन एतद्द्वारा खरिज किया जाता है।

5. आई0ए0 संख्या 561/2018 का निपटारा किया जाता है।

(राजेश कुमार, न्याया0)